# न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्या 20/2026 पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

1–हरिराम पुत्र श्री मुरलीधर, जाति अहीर
2–बुद्धाराम पुत्र श्री छीताराम जाति गुर्जर
3–रंगलाल पुत्र बुद्धाराम, जाति गुर्जर
4–सुरजभान पुत्र भौराराम जाति गुर्जर
5–राधेश्याम पुत्र धूणालाल जाति अहीर
निवासीयान टोडियाकाबास तहसील बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान, पिन कोड–301402

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–रामअवतार पुत्र डेडाराम, निवासी ढाणी डेडावाली टोडियाकाबास तहसील बानसुर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0
2–तहसीलदार महोदय, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

–रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.02.2026 द्वारा तहसीलदार बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान ।

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं अशोक कुमार गुर्जर एवं सुबेसिंह गुर्जर।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संकेत लाटा एंव योगेश्वर प्रकाश।

## निर्णय

दिनांकः– 9-6-26

अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.02.2026 से व्यथित होकर पेश की है कि है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस रामअवतार निवासी ढाणी डेडावाली टोडियाकाबास तहसील बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19–01–2026 को उपखण्ड अधिकारी महोदय बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506, 508 व 510 तक एक रास्ता वाके मौजा टोडियाकाबास में स्थित है। इस रास्ते को महावीर पुत्र मुरली, राधेश्याम पुत्र धूणा, सुगनचन्द पुत्र धूणा, हरिराम पुत्र मुरली, नरेश पुत्र धूणा, कैलाश, ख्याली, रामसिंह, बिशम्भर, सुरजभान, सोणाराम पुत्रान भौरा, बुद्धा पुत्र छीता आदि लोगों ने अवैध रूप से रोक लिया है। इरा



अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

रास्ते से होकर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं व हमारी ढाणी डेडा की ढाणी के लिए यही एकमात्र रास्ता है, अतः उक्त रास्ता खुलवाया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय बानसुर ने उक्त प्रार्थना पत्र को मार्क कर तहसीलदार बानसुर को कार्यवाही करने के लिए भिजवाया गया। तदोपरान्त तहसीलदार महोदय बानसुर द्वारा पटवारी हल्का लेकडी को उक्त प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट मगंवाने के आदेश प्रदान किये गये। पटवारी हल्का लेकडी ने प्रार्थी रामाअवतार से मिलीभगत कर उसको फायदा पहुंचाने की नियत से मौके के विपरीत मौका रिपोर्ट बनाकर उसी राम रोज यानि दिनांक 19–01–2026 को तहसीलदार महोदय बानसुर के समक्ष पेश कर दी गयी। जिस पर तहसीलदार महोदय बानसुर द्वारा दर्ज जभान कर अपीलान्टस/ अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी, जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। चूंकि प्रार्थीगण की शिकायत पर पटवारी की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को प्रकरण की सुनवायी के लिए नोटिस जारी किया गया व नोटिस की तारीख पर अप्रार्थीगण 01 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, जवाब हेतु समय चाहा गया, जवाब हेतु समय दिया गया लेकिन अप्रार्थीगण अधिवक्ता तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे। तहसीलदार बानुसर द्वारा दिनांक 09–02–2026 को निर्णय पारित किया गया कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ग्राम टोडियाकाबास के आराजी खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506, 508 व 510 में से जाने वाले रास्ते का उपयोग अपने खेत, आवास आदि के आवागमन हेतु करते हैं, पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506, 508 व 510 में से जाने वाले प्रचलित रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506, 508 व 510 में से होकर जाने वाले प्रचलित पुराने रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया जाकर खुलवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलान्टस की ओर से यह अपील निम्न तथ्यो श्पर निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि तहसीलदार महोदय बानसुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2026 न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्तनीय है।
2. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में जो रास्ते के प्रावधान दिये गये हैं वो केवल मात्र कृषि भूमि में आने जाने व कृषि से सम्बंधित कार्य करने के लिए दिये गये है, जिस पर किसान अपने भूमि में कृषि से सम्बंधित कार्य करने के लिए आता जाता हो और यदि किसी अन्य भूमिधारी जिसकी भूमि से अपने भूमि में आने जाने के लिए उपयोग उपभोग ले रहा हो और यदि कृषि कार्य में उपयोग आने वाले रास्ते या पगडंडी में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता में उत्पन्न व्यवधान को खुलवाने के अधिकार प्राप्त है। कृषि भूमि से असम्बंधित (जो कृषक नहीं है, या जिसकी कृषि भूमि नहीं है वह अन्य की कृषि भूमि में से उक्त धारा के तहत रास्ता प्राप्त करने के हक अधिकार या सुखाचार नहीं रखता है, ना ही ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर तहसीलदार कोई कार्यवाही कर सकता है) रास्तों या पगडंडी के लिए अन्य भूमिधारी की भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान काश्तकारी



अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अधिनियम 1955 की धारा 251 में प्रावधान इस प्रकार है कि "मार्ग तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार (1) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो, अपने उक्त उपयोग में बिना उसकी सहमति के, विधि द्वारा विहित प्रणाली से भिन्न रीति से बाधित किया जाये, तहसीलदार उक्तरूपेण बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपयोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने का आदेश दे सकेगा, चाहे उक्तरूपेण पुनः उपभोग किये जाने के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये।"

3. यह कि अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को दिनांक 28–01–2026 को उपस्थित होने के नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे, जिस पर दिनांक 28–01–2026 को अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब का सूरजभान अवसर चाहा। उसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 04–02–2026 नियत की गयी। दिनांक 04–02–2026 को अपीलान्टस को जवाब का समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–02–2026 नियत की गयी। किन्तु दिनांक 09–02–2026 को अपीलान्टस को सुने बिना तथा बिना बहस सुने एवं बिना जवाब लिये ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपनी मनमर्जी से दिनांक 09–02–2026 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया, जो काबिले निरस्तनीय है।
4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार महोदय बानसुर द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19–01–2026 को पेश होते ही तुरन्त पटवारी हल्का लेकडी को मौका रिपोर्ट बनाने के लिए आदेशित कर, बिना मौके पर गये, तहसील कार्यालय परिसर में ही बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार कर तुरन्त वापस उसी दिन तहसीलदार महोदय बानसुर को प्रेषित कर दी गयी तथा उसी ही दिन यानि दिनांक 19–01–2026 को तहसीलदार बानसुर ने मौका रिपोर्ट पर मार्क कर प्रकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये, उक्त सभी कार्यवाही कानून को ताक में रखकर कानून के विपरीत राजनैतिक दबाव में प्रार्थी को फायदा पहुंचाने की नियत से समस्त कार्यवाही की गयी जो काबिले निरस्तनीय है।
5. यह कि अपीलान्टस की आराजी में से जो पगडंडी बतायी गयी है, जो पगडंडी कभी नहीं रही है, ना कभी सार्वजनिक या अन्य किसी के रास्ते या पगडंडी के रूप में उपयोग में ली गयी है। अपीलान्टस की भूमि में कोई पगडंडी या रास्ता नहीं है केवल मात्र अपीलान्टस ने अपने खेतों के विभाजन के लिए डोल बना रखी है, जिससे किसी अन्य का कोई लेना देना ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना ही किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी मौके पर ना जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरीत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार बानसुर को पेश की गयी जिसको आधार बनाकर तहसीलदार बानसुर द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 09–02–2026 पारित किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है, जिसे निरस्त किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है।
6. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसील बानसुर के निर्णय दिनांक 09–02–2026 में वर्णित अपीलान्टस की आराजी खसरा नम्बर 497, 503, 505, 506, 508 वाके मौजा



अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

टोडियाकाबास में नया रास्ता लेने के लिए उपखण्ड अधिकारी महोदय बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष दिनांक 05–01–2026 को अंतर्गत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र उनवानी मोहर सिंह वगैराह बनाम अशोक कुमार वगै० मु0न0–01/2026 पेश किया गया है जिसमें अपीलान्टस की उपरोक्त आराजी से खसरा नम्बर 510 तक रास्ता मांगा गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की उपरोक्त आराजी स्थित टोडियाकाबास में कभी भी कोई पगडंडी या रास्ता नहीं रहा है, ना ही कभी रास्ते या पगडंडी के रूप में काम में ली गयी है। अपीलान्टस अपनी उक्त आराजी में बुजुर्गान के समय से फसल काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी मौके पर अपीलान्टस की फसल खडी है, परन्तु उसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा मौके के विपरीत जाकर कानून को ताक में रखकर मौका रिपोर्ट बनाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानुसर के समक्ष पेश की गयी है, पटवारी हल्का लेकडी की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 09–02–2026 पारित किया गया है जो तथ्य मौका एवं कानून के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, निरस्त किया जावे।

7. यह कि अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वकालतनामा पेश किया तब अधिवक्ता ने अपीलान्टस को आश्वस्त कर दिया था कि जरूरत पडने पर आपको सूचना देकर बुला लिया जायेगा। अपीलान्टस ने अपने अधिवक्ता से मिलकर अपने प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो उन्होने बताया कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 09–02–2026 को तहसीलदार महोदय बानसुर द्वारा कर दिया गया तब अपीलान्टस ने पत्रावली की नकल लेने के लिये दिनांक 09–03–2026 को आवेदन किया और दिनांक 09–03–2026 को प्रमाणित पत्रावली मिलने पर अपीलान्टस को निर्णय दिनांक 09–02–2026 की जानकारी प्रथम बार होने पर बिना किसी देरी यह अपील मान्य न्यायालय में पेश की जा रही है, जो देरी हुई है उसकी माफी के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया जा रहा है।
8. यह कि मान्य न्यायालय को अपील में श्रवणाधिकार हॉसिल है।
9. यह कि अपील नियत न्यायशुल्क पर पेश है।
10. यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

    अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–02–2026 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
11. अपील अपीलान्ट जरिये वकील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तल्बी हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संकेत लाटा उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–01–2026 और 04–02–2026 को जवाब हेतु समय दिया गया था, परंतु दिनांक 09–02–2026 को बिना उनका जवाब रिकॉर्ड पर लिए और बिना उनकी बहस सुने एकतरफा आदेश पारित कर



अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दिया गया। दिनांक 19–01–2026 को प्रार्थना पत्र पेश होते ही बिना मौके पर गए, पटवारी हल्का लेकड़ी द्वारा तहसील परिसर में ही बैठकर राजनीतिक दबाव में गलत मौका रिपोर्ट तैयार की गई। विवादित आराजी खसरा नंबर 497, 503, 505, 506, 508 वाके मौजा टोडियाकाबास में कभी कोई पगडंडी या रास्ता नहीं रहा है। वह केवल खेतों के विभाजन के लिए बनाई गई डोल (मेड़) है। वर्तमान में वहां फसल खड़ी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इसी रास्ते के संबंध में एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष वाद संख्या 01/2026 दिनांक 05–01–2026 से पहले से ही विचाराधीन है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पूर्व में कोई रास्ता मौजूद नहीं था। धारा 251 न्या रास्ता खोलने एवं कायम करने का अधिकारी नही देती है। धारा 251 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि केवल भूमिधारक को अपने खेतों पर जाने के लिए पूंर्व में अस्तित्व के निजी रास्ते जो किसी अन्य भूधारकों द्वारा बंद कर दिया गया हो उसे खुलवाने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रत्यर्थी की भूमि की सीमा अपीलार्थी के खेतों से नहीं मिलती है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर तहसीलदार द्वारा पारित सुखाधिकार पर यह आदेश दिनांक 09.02.2026 को खारीज फरमावें। इस संबंध अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रात आरआरडी 2002 पेज नम्बर 747 रामबक्श बनाम ग्राम पंचायत कूडली पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर तामील करवाई गई थी। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय भी चाहा, परन्तु आगामी पेशी दिनांक पर वे जानबूझकर अनुपस्थित रहे। मौके पर ढाणी डेडा की ढाणी के स्कूल जाने वाले बच्चों व अन्य ग्रामीणों के आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है, जिसे अवैध रूप से अवरुद्ध किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट लेकर एवं सुमुचित सुनवाई कर यह आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील को खारिज फरमावें।

13. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में सलग्न दस्तावेज एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि अपीलार्थीगण को दिनांक 28–01–2026 को नोटिस तामील होने के बाद केवल दो तारीखें 04–02–2026 और 09–02–2026 जवाब हेतु दी गईं। दिनांक 09–02–2026 को ही बिना अपीलार्थीगण का जवाब रिकॉर्ड पर लिए और बिना उन्हें सुने अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। राजस्व वादों में किसी भी पक्षकार को अपनी बात रखने और लिखित जवाब प्रस्तुत करने का उचित और पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर बिना जवाब के निर्णय पारित करना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रकरण में यह तथ्य भी नजर आया है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारा 251–क के तहत नया रास्ता लेने हेतु इस न्यायालय उखण्ड अधिकारी बानसुर के समक्ष वाद संख्या 01/2026 पहले से ही दायर किया जा चुका है। जब नए रास्ते का विवाद पहले से ही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में मौका रिपोर्ट के आधार पर उसे पुराना रास्ता मानकर खोलने का आदेश देना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। मौका रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी अपीलार्थीगण द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिनका निस्तारण सरसरी तौर पर नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह



अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 09–02–2026 कानूनन एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बानसूर को प्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को अपना लिखित जवाब/बहस प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार विधि सम्मत् निर्णिय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ तुरंत वापस भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 9-6-26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)